रजिस्ट्री सं॰ डी॰ (डी॰ एन॰)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 160] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 1986/वैशाख 11, 1908
No. 160] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 1986/VAISAKHA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 1986

अधिसूचना

का॰आ॰ 218(अ) :—"दल खालसा" के नाम से ज्ञात संगठन

(i) जिसने एक पूर्ण स्वायत्त "खालसा राज्य" की स्थापना के मुख्य उद्देश्य की घोषणा की थी, अपने उद्देश्य के अनुसरण में, अपनी क्रियाओं द्वारा भारत की प्रादेशिक अखण्डता के विलगाव और उसको विच्छिन्न करने का प्रचार कर रहा है;

(ii) जिसके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों और प्रैस नोटों के परिचालन द्वारा "खालसा राज" के लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, अपने भावी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने और स्वयं को सशस्त्र बनाने जैसी क्रियाओं को प्रश्रय देने के लिये, सिक्खों को प्रेरित करके एक अलग राज्य "खालिस्तान" के बनाने के लिए समर्थन दिया है ;

(iii) जिसके कार्यकर्ताओं ने, मिली रिपोर्ट के अनुसार "विदेश में" एक समानान्तर "खालिस्तान" सरकार बना ली है और उसके सदस्यों को मंत्रिपदों का आबंटन कर दिया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से "दल खालसा" एक विधिविरुद्ध संगम है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि "विदेश में एक समानान्तर खालिस्तान सरकार" के निर्माण में "दल खालसा" के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की क्रियाओं और उनकी अन्य क्रियाओं के कारण "दल खालसा" को तुरन्त विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दल खालसा" को विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, ऐसे किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जायेगा, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा॰ सं॰ 4/39/85-टी॰]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 1st May, 1986

NOTIFICATION

S.O. 218(E).—Whereas the organisation known as 'Dal Khalsa'—

(i) which had declared as its main objective the establishment of a complete autonomous 'Khalsa State' has, in pursuance of its objective, been preaching secession and disruption of the territorial integrity of India through its activities;

(ii) whose office-bearers and activists have extended support to the creation of 'Khalistan', a separate State, by exhorting Sikhs, through circulation of posters and Press Notes' to indulge in such activities as burning of the Indian National flag, finalising their future course of action and arming themselves to achieve the goal of 'Khalsa Raj';

(iii) whose activists had reportedly formed a parallel 'Khalistan Government in exile' and allocated portfolios to its members;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the 'Dal Khalsa' is an unlawful association;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the activities of the office bearers and activists of the 'Dal Khalsa' in the reported formation of a parallel 'Khalistan Government in exile' and other activities, it is necessary to declare the 'Dal Khalsa' to be unlawful with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the 'Dal Khalsa' to be an unlawful association, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 4/39/85-T]

अधिसूचना

का. आ 219(अ) —"नेशनल कौंसिल आफ खालिस्तान" (जिसे इसमें इसके आगे कौंसिल कहा गया है) के रूप में ज्ञात संगठन —

(i) जिसने अपने सेक्रेटरी-जेनरल, श्री बलबीर सिंह संधु की घोषणा के एक स्वायत्त अलग "खालिस्तान" सिख राज्य की स्थापना के अपने उद्देश्य की घोषणा की थी "दल खालसा" के रूप में ज्ञात संगठन की विलगाववादी और हिंसक क्रियाओं को प्रोत्साहन दे रहा है;

(ii) जिसका प्रेजिडेंट डा० जगजीत सिंह चौहान, जो स्वयं को "रिपब्लिक आफ खालिस्तान" का प्रेजिडेंट होने का दावा करता है, ने विदेशी समाचार-पत्रों के माध्यम से, भारत की स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं को धमकियां दी थी और इस प्रयोजन के लिये भारी धनराशि देने की घोषणा करके उनकी हत्या करने के लिये सिख उग्रवादियों को उकसाया था और "खालिस्तान सरकार" के कार्य को करने के लिये एक 5-सदस्यीय समिति के गठन की, और तथाकथित "खालिस्तान सरकार" के राजदूतों और अन्य कौंसलीय अधिकारियों की नियुक्ति की भी घोषणा की थी और जिसने, समाचार-पत्रों को दी गई जानकारी द्वारा एक अलग प्रभुत्व सम्पन्न राज्य की मांग को न्यायोचित ठहराया था और अपने अनुयायियों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तथा भारत के संविधान को जलाने के लिये और "खालिस्तान का झण्डा" फहराने के लिये उत्तेजित किया था,

(iii) जिसके विदेश में रहने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ता भारत में नेताओं को धमकी भरे पत्र लिखते हैं और जिन्होंने "रिपब्लिक आफ खालिस्तान" की ओर से तथाकथित करेन्सी नोटों का मुद्रण और वितरण करवाया था, और

(iv) जिसके भारत में रहने वाले कार्यकर्त्ता खालिस्तान समर्थक और हिन्दू विरोधी प्रचारों में संलग्न हैं;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से यह कौंसिल एक विधिविरुद्ध संगम है;

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि कौंसिल के प्रेजिडेंट और अन्य कार्यकर्त्ताओं के वार्तालाप, कथनों, लेखनों और अन्य क्रियाओं के कारण कौंसिल को तुरन्त विधि-विरुद्ध घोषित करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "नेशनल कौंसिल आफ खालिस्तान" को एक विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, ऐसे किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाये, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा०सं० 4/39/85-टी०)]

सी०टी० बेंजामिन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

S.O. 219(E).—Whereas the organisation known as the 'National Council of Khalistan' (hereinafter referred to as the Council)—

(i) which had through the declaration of Shri Balbir Singh Sandhu, its Secretary-General, proclaimed as its objective the establishment of an autonomous, separate Sikh State of 'Khalistan' has been encouraging the secessionist and violent activities of the organisation known as 'Dal Khalsa';

(ii) whose President, Dr. Jagjit Singh Chauhan, who also claims himself to be the 'President' of the 'Republic of Khalistan', had extended threats through foreign media to the late Prime Minister of India, Smt. Indira Gandhi and other national leaders, and instigated the Sikh extremists to undertake her assassination by announcing huge sums of money for the purpose, and had announced the formation of a 5-member committee to carry on the work of 'Khalistan Government' and also the appointment of Ambassadors and other Consular officers of the so-called 'Government of Khalistan', and who had, through information furnished

to newspapers, justified the demand for a separate sovereign State, and urged his followers to burn the Indian National flag and the Constitution of India and hoist the "Khalistan flag";

(iii) whose office-bearers and activists abroad indulge in writing threatening letters to leaders in India and had undertaken the printing and distribution of so-called currency notes on behalf of the 'Republic of Khalistan'; and

(iv) whose activists in India are indulging in pro-Khalistan and anti-Hindu propaganda;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Council is an unlawful association;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the talks, utterances, writings and other activities of the President and other activists of the Council, it is necessary to declare the Council to be unlawful with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the 'National Council of Khalistan' to be an unlawful association and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date its publication in the Official Gazette.

[F. No. 4|39|85-T]

C. T. BENJAMIN, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986